App – A

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बालेसर जिला जोधपुर

तहसीलदार सेखाला बनाम ग्राम भालू अनोपगढ

किस्म मुकदमा धारा 131,132,136 नं. /2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/12/21	तहसीलदार बालेसर हाल सेखाला द्वारा पत्रांक 2979 दिनांक 14.11.2019 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 भू.राजस्व अधिनियम सपठित धारा 58,59,60,66,86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया है हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार फसल खरीफ सवंत् 2073 दौराने गश्त गिरदावरी ग्राम तेजसिंहनगर पटवार मण्डल भालु अनोपगढ तहसील सेखाला में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो भी मौका पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड तथा जमाबन्दी में अंकन नहीं है। हल्का पटवारी ने मौके पर रास्ता चालू हालत में होने की ताईद की है। तहसीलदार सेखाला द्वारा रास्ता/बारहमासी मार्ग ग्राम तेजसिंहनगर पटवार मण्डल भालु अनोपगढ तहसील सेखाला के खसरा संख्या 273, 278, 281, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301 में चल रहे आवगमन के रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज करने की अनुशंषा की है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार बालेसर हाल सेखाला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द में भी हल्का पटवारी ने मौके पर रास्ता चालू हालत में होने की ताईद की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार सेखाला को प्रेषित कर पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बालेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalb
Date: 2024.06.14 11:50:27 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। पूर्व पेशी पर बहस सूनी गई थी। मूल प्रार्थना पत्र का संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बालेसर हाल चामू द्वारा अपने पत्रांक 2979 दिनांक 14.11.2019 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 58,59,60,66,86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत पेश करते हुए मौजा तेजसिंहनगर पटवार मण्डल भालु अनोपगढ तहसील सेखाला के खसरा नम्बर 273, 278, 281, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301 मे चल रहे आवगमन के रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज करने की अनुशंषा की गई थी। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.12.2021 को निर्णय पारित करते हुए उक्त खसरों मे प्रस्तावित रकबे के अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किया गया था। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.12.2021 के विरूद्व खसरा नम्बर 278 के खातेदार श्री दुर्गसिंह वगेरा द्वारा माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 336/2023 पेश की गई थी जिस पर माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2023 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.12.2021 मे संशोधन करते हुए खसरा नम्बर 297, 296, 295 भूमि की माठ/कणे-कणे के पास उनकी सीमा भूमि मे से तथा खसरा नम्बर 278 की सीमा की पूर्वी-दक्षिणी दिशा की ओर स्थित माठ-कणे के पास-पास कदीमी/चलायमान रास्ते के आदेश पारित किया गया था। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के आदेश दिनांक 31.08.2023 के विरूद्व श्री दुर्गसिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर मे अपील नम्बर 4860/2023 दायर की गई जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा दिनांक 29.11.2023 को निर्णय पारित करते हुए माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के आदेश दिनांक 31.08.2023 एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.12.2021 को निरस्त करते हुए प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। पत्रावली न्यायालय हाजा मे प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए नोटिस [illegible] रजि. ए.डी. से प्रेषित करते हुए तहसीलदार चामू को नवीन मौका रिपोर्ट पुनः प्रेषित करने हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार चामू द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./कदीमी रास्ता/ 2024/[illegible] दिनांक 04.03.2024 से नवीन मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे [illegible] गई। तहसीलदार चामू द्वारा प्रस्तुत नवीन मौका रिपोर्ट मे अंकित तथ्य इस प्रकार है :- हल्का पटवारी भालू रतनगढ एंव भू.अ. निरीक्षक देवातू की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 मे उल्लेखित नजरी नक्शे के अनुसार A से B तक मौके पर बिना वाद के सड़क निर्माण कार्य चला है B से C तक मौके पर रास्ता चल रहा है। C से E तक खसरा नम्बर 278 मे रास्ता बन्द है मौके पर फसल खड़ी	

Signature Not Verif
Digitally signed by Ramj
Date: 2024.06.14 11:50
Reason: SelfAttested

है। इस खसरे मे E से D तक रास्ता चालू है E से F मौके पर रास्ता चालू है। उक्तानुसार रास्ते के खसरा नम्बर 301/1, 300/1, 299/1, 297/1, 298/1, 295/1, 294/1, 281/1 मे रेकर्ड मे मौके की स्थिति मे कोई परिवर्तन नही है। खसरा नम्बर 278/1 किस्म गै.मु. रास्ता की स्थिति रेकर्ड बिन्दु संख्या C से E से अलग होकर बिन्दु E से D पर चल रहा है जिसे जोडने हेतु C से D एवं D से E तक का रास्ता संशोधित किया जाना है।

अप्रार्थी श्री प्रतापसिंह, भवानीसिंह वगैराह द्वारा जवाब न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकित किया गया है कि उक्त रास्ता पुराने समय से चल रहा था जिसकी उसी जगह तरमीम की गई है। मौजा भालू तेजसिंहनगर के खसरा नम्बर 273, 278, 281, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301 मे सार्वजनिक रास्ता करने बाबत् प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को पेश किया गया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये थें। जहा पर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किया गया था वहां ग्रेवल सड़क भी बन चुका है। खसरा नम्बर 278 के खातेदारों ने मौके पर पुराने चल रहे रास्ते को बन्द करके दुसरे खेतों मे रास्ता निकाला है जो गलत है। अप्रार्थी श्री प्रतापसिंह, भवानीसिंह द्वारा रास्ते के आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया है। अप्रार्थी दुर्गसिंह वगेराह के अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह द्वारा जवाब न्यायालय मे पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली मे बहस सूनी गई। तहसीलदार चामू द्वारा प्रेषित नवीन मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। हल्का पटवारी भालू रतनगढ एंव भू.अ. निरीक्षक देवातू की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 मे यह उल्लेख किया गया है कि A से B तक सड़क बिना किसी विवाद के बन चुकी है B से C तक मौके पर रास्ता चल रहा है। उक्त मार्ग का मुख्य विवाद खसरा नम्बर 278 मे है। अतः हल्का पटवारी भालू रतनगढ एंव भू.अ. निरीक्षक देवातू की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 एवं वर्तमान आवागमन को ध्यान मे रखते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे मौजा तेजसिंहनगर पटवार मण्डल भालु अनोपगढ तहसील सेखाला के खसरा नम्बर 273, 278, 281, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301 पर किये गये आदेश दिनांक 11.12.2021 मे संशोधन करते हुए खसरा नम्बर 278 के मध्य से किये गये रास्ते के आदेश को निरस्त कर हल्का पटवारी भालू रतनगढ एंव भू.अ. निरीक्षक देवातू की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 मे उल्लेखित बिन्दु संख्या C से D एवं D से E मे रास्ता संशोधित किया जाता है। तहसीलदार चामू को निर्देशित किया जाता है कि वह हल्का पटवारी भालू रतनगढ एंव भू.अ. निरीक्षक देवातू की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 मे उल्लेखित बिन्दु संख्या C से D एवं D से E के [illegible] कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे, किन्तु भूमि [illegible] की सूरत में पूर्ववत निजी खाते में र[illegible] भूमि का लाल स्याही से अंकन किया जावे उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण प्रकिया जरिये संपादित की जावें। हल्का पटवारी भालू रतनगढ एंव भू.अ. निरीक्षक देवातू की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 उक्त आदेश का अंग माना जायेगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjit Bhai Ka
Date: 2024.06.14 11:50:27 IST
Reason: SelfAttested